2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 04/2019

1. श्रीमती संदीप कौर पत्नी श्री हरप्रीत सिंह जाति मजहबी आयु 26 वर्ष निवासी श्यामनगर, वार्ड नम्बर 07, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर , जिला श्रीगंगानगर राज0।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1.श्री अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थीया

2.सीडीपीओ श्रीगंगानगर

आदेश — दिनांक : 27-05-2019

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 7ए श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 7 के वार्ड पार्षद द्वारा द्वेष भाव व रंजिश के कारण गलत रिपोर्ट देते हुए प्रार्थीया को वार्ड क्षेत्र किराये के कमरे में रहती की रिपोर्ट देने के कारण शहरी चयन समिति श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीया के आवेदन- पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया और प्रार्थीया का चयन निरस्त किया और बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर द्वारा अपने पत्र कमांकः-स्था0 /1477 दिनांक 30.01.2019 से प्रार्थीया को वार्ड नम्बर 07 पुरानी आबादी में किराये के कमरा में रहती है इसलिए प्रार्थीया का चयन नहीं किया। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक-2332 दिनांक 06.07. 2018 के तहत आवेदन मांगे गये थे जिसके तहत प्रार्थीया ने श्रीगंगानगर में वार्ड नम्बर 7 में कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था। शहरी चयन समिति श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीया वार्ड नम्बर 7 की नहीं होने के कारण चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया इसी वार्ड की मूल निवासी है। प्रार्थीया का राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वोट पहचान पत्र आदि वार्ड नम्बर 07 के बने हुए है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से विधि विरूद्व, नियमों विरूद्व चयन समिति में पार्षद महोदय की गलत रिपोर्ट को मानते हुए प्रार्थीया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया के 6 अंक सबसे अधिक है और प्रार्थीया का चयन होना था। परन्तु वार्ड पार्षद की गलत रिपोर्ट से चयन नहीं किया गया। शहरी चयन समिति वार्ड नम्बर 7ए में कार्यकर्ता का पद खाली रखना इनकी मंशा है ताकि बाद में अपने किसी चहेते को उसमें चयनित कर सके। वार्ड पार्षद द्वारा दिनांक 20.07. 2018 को अपने लेटर पैड पर प्रार्थीया का वार्ड नम्बर 7 श्यामनगर श्रीगंगानगर में पिछले दो-ढाई वर्ष से रहना बताती है और व्यक्तिगत रूप से जानती है का प्रमाण पत्र जारी करके दिया जाता है परन्तु वार्ड पार्षद ने अपने नजदीकी अनिशा पत्नी स्व. राजकुमार को कार्यकर्ता के पद पर रखने के लिए झुठी शिकायत चयन समिति श्रीगंगानगर के समक्ष की गई। वार्ड पार्षद ने क्लीन हैड (निःस्वार्थ भाव से) से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

शिकायत नहीं की बल्कि अपने नजदीकी अनिशा को लगाने के लिए झुठी शिकायत की गई। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है तथा कथा बी.ए. तक पढ़ी लिखी है तथा प्रार्थीया एक गरीब महिला है। स्वयं का मकान होना या न होना स्थाईतत्व नहीं हो सकता। दस्तावेजो को देखा जाना चाहिए था जो चयन समिति ने नहीं देखे और प्रार्थीया का समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिशिचित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्री गंगानगर (शहर) से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने जबाब जरिये पत्रांक 1683 दिनांक 28.02.2019 मय सलंग्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर बहस में कहा है कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 3/2018 पत्रांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र 7ए पर कार्यकर्ता हेतु आवेदन लिये गये। उक्त वार्ड हेतु सलंग्न सूची अनुसार कुल 4 आवेदन प्राप्त हुये। जिसमें श्रीमती संदीप कौर पत्नी हरप्रीत सिंह का भी आवेदन भी शामिल था। महिला पर्यवेक्षक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार उक्त कार्यकर्ता का पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित था। विभागीय नियमानुसार प्राप्त आवेदनों पर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ग्रेडिंग की गई। ग्रेडिंग अनुसार श्रीमती संदीप कौर पत्नी हरप्रीत सिंह ने 5 अंक प्राप्त कर वरीयता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिनांक 27.08.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। चयन समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनो पर विस्तृत चर्चा की गई। समस्त 4 आवेदनकर्ताओं के आवेदनों का अवलोकन किया गया तो श्रीमती संदीप कौर के द्वारा आवेदन के साथ शैक्षणिक दस्तावेज, विवाह पूर्व का मूल निवास, विवाह पूर्व का जाति प्रमाण–पत्र, आधार की रसीद और निवास के सम्बन्ध में पार्षद कि रिपोर्ट सलंग्न थी, कोई भी निवास संबधी ठोस प्रमाण सलंग्न नहीं था। विस्तृत चर्चा के उपरान्त श्रीमान उपखण्ड अधिकारी,श्रीगंगानगर के द्वारा श्रीमती संदीप कौर पत्नी हरप्रीत सिंह को 1 माह का समय देते हुए ऑनलाईन जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 769–72 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा श्रीमती संदीप कौर को ऑनलाईन जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। दिनांक 14.09.2018 को श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष श्रीमती नीतू माटा पार्षद के द्वारा वार्ड नम्बर 7 में कार्यकर्ता के चयन के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत की जांच सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से करवाई गई। महिला पर्यवेक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती संदीप कौर वार्ड नम्बर 7 में किराये के मकान में निवास करना बताया गया। इसके पश्चात आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात दिनांक 20.12.2018 को चयन समिति कि बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वार्ड नम्बर 7 में कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु पुनः विचार किया गया। चयन समिति कि बैठक में वार्ड पार्षद के द्वारा चयन समिति के समक्ष पुनः मौखिक शिकायत प्रस्तुत कि श्रीमती संदीप कौर इस वार्ड की स्थाई निवासी नहीं है वह इस वार्ड में किराये के मकान में रहती है और इस पद को अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित भी गलत बताया गया, सभी आवेदनकर्ताओं के निवास आदि के सम्बन्ध

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा चयन समिति के उपस्थित सदस्यों कि सहमति से उक्त समस्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और उक्त पद को रिक्त मानते हुए आगामी विज्ञप्ति में पुनः शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि उसका चयन नियमानुसार सही हुआ है। वही उसी वार्ड संख्या 7 की निवासी है, जिसके सबूत इत्यादि समिति के समक्ष थे फिर भी चयन निररस्त कर दिया। अतः चयन समिति का निर्णय अपास्त कर अपीलार्थिया का चयन बदस्तूर रखा जावें।

बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्रावली चयन हेतु प्रस्तुत की गई। दिनांक 27.08.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समस्त 4 आवेदनकर्ताओं के आवेदनों का अवलोकन किया गया तो श्रीमती संदीप कौर के द्वारा आवेदन के साथ शैक्षणिक दस्तावेज, विवाह पूर्व का मूल निवास, विवाह पूर्व का जाति प्रमाण–पत्र, आधार की रसीद और निवास के सम्बन्ध में पार्षद कि रिपोर्ट सलंग्न थी, कोई भी निवास संबधी ठोस प्रमाण सलंग्न नहीं था। दिनांक 14.09.2018 को श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष श्रीमती नीतू माटा पार्षद के द्वारा वार्ड नम्बर 7 में कार्यकर्ता के चयन के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत की जांच सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक से करवाई गई। महिला पर्यवेक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती संदीप कौर वार्ड नम्बर 7 में किराये के मकान में निवास करना बताया गया। इसके पश्चात आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात दिनांक 20.12.2018 को चयन समिति कि बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वार्ड नम्बर 7 में कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु पुनः विचार किया गया। चयन समिति कि बैठक में वार्ड पार्षद के द्वारा चयन समिति के समक्ष पुनः मौखिक शिकायत प्रस्तुत कि श्रीमती संदीप कौर इस वार्ड की स्थाई निवासी नहीं है वह इस वार्ड में किराये के मकान में रहती है और इस पद को अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित भी गलत बताया गया, सभी आवेदनकर्ताओं के निवास आदि के सम्बन्ध में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा चयन समिति के उपस्थित सदस्यों कि सहमति से उक्त समस्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और उक्त पद को रिक्त मानते हुए आगामी विज्ञप्ति में पुनः शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

हमने अपीलार्थी के अपील मीमों, रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश जबाब एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों का गहनता से मनन किया है कि चयन समिति द्वारा दिनांक 20.12.2018 की बैठक में चयन सम्बन्धी कार्यवाही निरस्त की जा चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट्स के अनुसार नवीन विज्ञप्ति इसी सप्ताह जारी होकर चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ होनी है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील अब सारहीन होने से खरिज की जाती है किन्तु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर एवं चयन समिति

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वह चयन प्रक्रिया 30.06.2019 तक पूर्ण करे एवं उसमें प्रार्थीया–अपीलार्थी यदि आवेदन करें तो उसके दावे को बिना राजनैतिक पूर्वाग्रह– शिकायत के गुणावगुण के आधार पर तय करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्रीगंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर (शहर) को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

27/5/19

(ओ.पी.जैन)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।